


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2017/

दिनांक

—: परिपत्र :—

उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के विभिन्न आदेशो द्वारा उप निदेशक एवं समकक्ष पदो पर कार्यरत चिकित्सको को प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर एवं वरिष्ठ विशेषज्ञो को प्रमुख विशेषज्ञ के पद पर वेतनमान 37400-67000 में ग्रेड पे 8700/- पर डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत तृतीय पदोन्नति प्रदान की गयी है। उक्त आदेशो मे अकिंत नोट संख्या 4 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है, कि पदोन्नत चिकित्सको को नियमानुसार कुल केडर के 18 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत ही ग्रेड पे 8700/- स्वीकृत की गई है, अतः समस्त चिकित्सको का नियमानुसार वेतन निर्धारण कराने की कार्यवाही करे।



निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2017/ 21

दिनांक 31/11/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, ईएसआई/एमएसयू चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित चिकित्सक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को विभाग की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर